BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 33/2021

In

Original Application No. 68/2021

IN THE MATTER OF

SUSHIL RAGHAV **...APPLICANT**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT OF SHRI MANOJ KUMAR SINGH, CHIEF SECRETARY, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.05.2024	3-9
2.	**ANNEXURE R1:** True copy of the letter no. N.G.T.-336/81-7-2024 dated 10.06.2024	10-14
3.	**ANNEXURE R2:** True copy of Letter of constitution of committee	15
4.	**ANNEXURE R3:** The true copy Minutes of meeting dated 06.09.2024	16-18

5.	**ANNEXURE R4** The true copy of the site visit report	19-23
6.	**ANNEXURE R5:** Minutes of meeting of SLTC	24-27
8.	**ANNEXURE R6:** Copy of A true Report of the Municipal Corporation Ghaziabad	28-29

THROUGH

DATE: 1/10/2024

PLACE: NEW DELHI

BHAWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL OF STATE OF UP

NATIONAL GREEN TRIBUNAL

HIGH COURT
ALLAHABAD
AFFIDAVIT 2024
0212278

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 33/2021

In

Original Application No. 68/2021

<u>IN THE MATTER OF</u>

Sushil Raghav **...Applicant**

Versus

Union of India & Ors.

...Respondent(s)

<u>AFFIDAVIT OF SHRI MANOJ KUMAR SINGH, CHIEF SECRETARY, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.05.2024.</u>

I, Manoj Kumar Singh, aged about 59 years, posted as Chief Secretary, Government of State of Uttar Pradesh, do hereby most solemnly state and affirm as under-.

1. At the outset, with the utmost respect it is submitted that all the officers and authorities of the State of Uttar Pradesh have the highest respect and regard to the orders passed by the Hon'ble Tribunal and duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal in true letter and spirit.

2. That this application has been filed by the Applicant under Section 25 of NGT Act, 2010 seeking execution of order dated 19.03.2021 passed in O.A No. 68/2021. The applicant had sought the remedy to prevent untreated sewage/effluent which was being discharged in the Strom

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

Water Drain in Karkar Model situated in Municipal Corporation, Ward No. 43 at Sahibabad, Ghaziabad.

3. That this Execution Application is presented before this Hon'ble Tribunal with the following prayers:

   "A. Pass an Order in execution of the Order, dated: 19.03.2021, passed by this Hon'ble Tribunal in the above-titled Original Application, directing the Respondent Nos. 1 & 2 to lay-down a sewerage network in the Karkarmodel area in Sahibabad and thereby stop all sewage from falling into the storm water drains in the area.

   B. Pass an order, thereby, penalizing the concerned Respondents for not complying with the Order, dated: 19.03.2021, passed in the above-titled Original Application."

4. It is submitted here that this Hon'ble Tribunal vide order dated 16.05.2024 directed the Chief Secretary, State of Uttar Pradesh to either appear in person or file a personal affidavit in response to disclose the current status on the compliance to the order dated 19.03.2021. and also gave one more opportunity to comply the order and the relevant paragraph has been mentioned hereunder:

   "13. In above background, we give one more opportunity to the concerned respondents to comply with the order and file compliance report at least one week before the next date."

5. It is submitted here with utmost sincerity and regard to this Hon'ble Tribunal that this matter has been taken into cognizance with utmost sincerity and earnestness by the deponent/undersigned who vide letter no. N.G.T.-336/81-7-2024 dated 10.06.2024 has written to the Principal

Oath Commissioner ☆ Lucknow ☆ Civil Secretariat

Secretary, Urban Development Department, Uttar Pradesh to comply with the order of the Hon'ble Tribunal dated 16.05.2024.

True copy of the letter no. N.G.T.-336/81-7-2024 dated 10.06.2024 has been annexed herein **ANNEXURE R1.**

6. It is submitted here that the existing situation of the site in question i.e., Karkar Model located at Municipal Corporation, Ward No. 43, Sahibabad, Ghaziabad, that a Sewage Pumping Station (hereinafter referred to as SPS) was constructed in the year 2002 at OHT Campus in Karkar Model and the Sewers were laid down in the year 2009.

7. It is kindly submitted here that as per the procedure laid down by law necessary actions for improving the sewage issue in the Karkar Model located at Municipal Corporation, Ward No. 43, Sahibabad, Ghaziabad have been taken. Firstly the Pumping Plant installed as a temporary arrangement by the Jalkal Department of Nagar Nigam, Ghaziabad has been removed from the site by which sewage was earlier being pumped into the open drain merging into the Sahibabad Drain. It is germane to mention here that a new Pumping Plant has been installed by which sewage is being pumped through the close Rising Main into the common chamber of 1800mm diameter Trunk Sewer Line. This further discharges the sewage into the 48 MLD MPS which is further pumped into the 56 MLD STP, Indirapuram for treatment. It is submitted along with the above statement that the primary concern of dumping the sewage into the open drain has been put to a permanent stop.

8. It is humbly submitted that the deponent has reviewed the matter and, considering the seriousness of the matter, directed Urban development department to constitute a committee to inspect the concerned place and submit a report disclosing the status of the Karkar Model.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

True copy of Letter of constitution of committee is Attached Annexure- R2 -

9. It is humbly submitted that the deponent convened a meeting on 06.09.2024 with all the concerned officers. It is humbly submitted that the deponent instructed the officers to take the remedial steps in true letter and spirit.

The true copy Minutes of meeting is annexed herewith as ANNEXURE R-3

10. It pertinent to mention here that that upon the instruction of the deponent, the duly constituted committee undertook a site inspection on the 2nd day of September 2024, and has submitted a detailed report apprising the deponent of the prevailing circumstances. The following officers were the part of the committee-

    i) Shri Amit Kumar Singh, Joint Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Lucknow.

    ii) Shri Arun Kumar Yadav, Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad

    iii) Shri R.K. Pankaj, Chief Engineer (Urban Area), Uttar Pradesh Jal Nigam (Urban), Ghaziabad

    iv) Shri Narendra Kumar Chaudhary, Chief Engineer, Municipal Corporation, Ghaziabad.

    v) Shri Manvendra Singh, Chief Engineer, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad.

    vi) Shri Kamakhya Anand, General Manager, Water Supply, Municipal Corporation, Ghaziabad.

    vii) Shri Pradeep Kumar Satyarthi, Regional Manager, UPCIDA.

    viii) Shri Vikas Mishra, Regional Officer, UPPCB.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

The Above-mentioned committee recommended the following steps to the concerned officers regarding the subject matter-

A. To meet-out the sewerage problem of Karkar Model Town, the actual number of houses should be assessed. For assessment and laying of sewer line, detailed survey of streets should be done and action for DPR preparation should be taken as per technical feasibility.

B. In the survey of DPR being prepared by UP Jal Nigam (Urban), it should be ensured that after completion of the sewer line work for all drains of Karkar Modal, the sewage generated should flow directly into the sewer line and not through the drains.

The true copy of the site visit report is Annexed herewith as-ANNEXURE-R4-

11. It is submitted here that above action was taken immediately to treat the pertaining problem at hand which was put forward in this Hon'ble Tribunal by the applicant. It is also submitted here that necessary and needed action plan has been drawn out to treat the remaining sewage which is discharged from the houses constructed in the area in question. That such actions taken have been given below:

i) A Pre-Feasibility Report (hereinafter referred to as PFR) has been prepared. The said PFR of the project was put before the State Level Technical Committee (SLTC), which in itsmeeting held on 27.08.2024 under the AMRUT 2.0 Programme has been approved. **Minutes of meeting of SLTC is annexed herewith as-ANNEXURE R-5**

ii) A detailed survey for the condition assessment of the existing sewer line, to quantify the additional sewer line and the new sewer

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

line that needs to be laid in the left-out area of the Karkar Model, has been completed.

12. Upon completion of the condition assessment works proposed in the DPR has been prepared. The domestic sewage shall be treated in the same 56 MLD STP, Indirapuram which is located on the site in question and has been mentioned above.

13. It is respectfully submitted that the Municipal Commissioner, Ghaziabad conducted a comprehensive survey of Ward No. 43 of the Ghaziabad Municipal Corporation, with the objective of ascertaining the total number of households situated therein. The survey, having been duly completed, revealed that a total of 1955 households are presently situated within the aforementioned ward. No house is connected to sewer line as on date 30.09.2024.Now these are the proposed to be connected in the DPR.

Copy of A true Report of the Municipal Corporation Ghaziabad is attached as Annexure R6

14. It is respectfully submitted that deponent directed the Jal Nigam (Urban) to prepare a Detailed Project Report (DPR) encompassing the required components such as: sewer line, household connections, pumping station and other. The DPR shall be submitted to the Urban Development Department within a period of fifteen days. Furthermore, it is submitted that upon receiving of the DPR from Jal Nigam (Urban), the Urban Development Department shall, by following the procedure, sanction the requisite funds under the AMRUT-2.0 scheme.

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

15. It is pertinent to mention here that the above-mentioned Detailed project report, estimated cost Rs. 981.98 lakh has been prepared by the Jal Nigam (Urban). It is humbly submitted that this project includes laying of sewer line in 8.0 KM length and connection of 1955 numbers of the household with sewer networks within Karkar Model. Provision for installation of new pumping plant has been provided in the DPR. Upon completion of the works proposed in the DPR, the domestic sewerage shall route through sewer line and shall be treated at 56 MLD STP and Indirapuram.

16. That this matter has been taken up by the deponent on highest priority and actions are being taken sincerely to cater the problem at the earliest time possible permanently. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

17. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

Manoj 1.10.24

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Lucknow on this 01 day of October. 2024, that the contents of the above affidavit are believed to be true and correct to the best of my knowledge and based on the official records. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Oath Commissioner ★ Civil Secretariat ★ Lucknow

Manoj

DEPONENT

01/10/2024

I-IDENTIFY THE DEPONENT WHO HAS SIGNED BEFORE ME

अरविन्द कुमार तिवारी
समीक्षा अधिकारी
नगर विकास अनु०-5

कूपन सं० 0212278
द्वारा शपथ की गई मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव
जिनका परिचय श्री अरविन्द कुमार तिवारी, समीक्षा अधिकारी
दिनांक 01.10.24 समय 5.10 P.m.
वाद संख्या 68/2021
पक्षकार सुशील राघव बनाम भारत संघ व अन्य
न्यायालय मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
की फीस वसूली गई

1.10.24
चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
उ०प्र० शासन।

NGT-150/(2)/5-27

ANNEXURE R1

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या-एन.जी.टी.-336/81-7-2024

लखनऊ: दिनांक: 10 जून, 2024

प्रमुख सचिव,

नगर विकास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-72/81-7-2024, दिनांक 27.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No. 33/2021 In Original Application No. 68/2021 Sushil Raghav Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत Reply/Response दाखिल करने/आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को अवगत कराने हेतु नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, जिलाधिकारी, गाजियाबाद तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद से अनुरोध किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण कड़कड़मॉडल गांव नगर निगम, वार्ड नंबर 43, साहिबाबाद, गाजियाबाद में सीवेज पाइप लाईन नेटवर्क तैयार किये जाने से संबंधित है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या-2, मुख्य सचिव, उ0प्र0, प्रतिवादी संख्या-3, जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं प्रतिवादी संख्या-4, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद हैं। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में रिस्पान्स दाखिल न होने के दृष्टिगत प्रतिवादी संख्या-2, 3, 4 एवं 7 के *Counsels* द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में चार सप्ताह का समय प्रदान करते हुए *response/compliance report* दाखिल किये जाने के निर्देश मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 द्वारा दिये गये। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत *response/compliance report* दाखिल करने/आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को तत्काल अवगत कराने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-187/81-7-2024, दिनांक 10.05.2024 द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को निर्देशित किया गया।

3. प्रकरण में दिनांक 16.05.2024 को निर्धारित सुनवाई के उपरान्त मा0 अधिकरण

2819 प्रशा.वि./सामान्य

VS(SP)/45

7448/VSHV(SP)/24

SO-5

11-06-24
(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन

11-06-2024

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:

> "........8. Strangely when we had put a question to the counsel appearing for the State in respect of the compliance to be done by the District Magistrate, Ghaziabad, he has answered that the District Magistrate, Ghaziabad has no responsibility and no role in the matter. **Hence we require the Chief Secretary, State of U.P. to appear virtually on the next date or to file his personal affidavit explaining the above situation and also disclosing reason for non-compliance of the order.**
>
> 9. The respondent no. 4, Municipal Commissioner Ghaziabad had initially taken the stand that no sewage is flowing in the storm water drain but when we asked him to point it out from the compliance report of Municipal Corporation, Ghaziabad, he could not do. So called response on behalf of Nagar Nigam, Ghaziabad has been filed on 05.03.2024. We have minutely perused the same and we find that though in the index it is mentioned "Compliance Report filed on behalf of Ghaziabad Nagar Nigam" but there is no compliance report enclosed along with the index. On the contrary some communications have been enclosed therewith and from that communications also the counsel for the Municipal Commissioner, Ghaziabad could not point out any plea that sewage is not going in storm water drain. Hence, we find that an attempt has been made by the Respondent No. 4 to incorrectly state before the Tribunal that no such sewage water is flowing in storm water drain and incorrectly stating about filing of compliance report without filing any such compliance report. **Hence we impose a cost of Rs. 15,000/- on the Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad for filing such a misleading response before the Tribunal.**
>
> 12. ....
>
> 13. In above background, we give one more opportunity to the concerned respondents to comply with the order and file compliance report at least one week before the next date.
>
> 14. List on 02.09.2024."

4. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में ***misleading response*** दाखिल किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 16.05.2024 को पारित आदेशानुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद पर रू0 15,000/- का जुर्माना लगाया गया है। उक्त के दृष्टिगत सुनवाई की अगली तिथि पर अधोहस्ताक्षरी को ***virtually appear*** होने या स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने तथा आदेश का अनुपालन न करने का कारण भी बताने के निर्देश दिये गये है।

5. अतः इस संबंध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण

Oath Commissioner ★ Civil Secretariat ★ Lucknow

में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत अधोहस्ताक्षरी का अनुमोदन प्राप्त कर *compliance report* दाखिल कराते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि अधोहस्ताक्षरी का उक्त आधार पर व्यक्तिगत शपथ पत्र तैयार कर मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Durga Shanker Mishra
Date: 07.06.2024 19:56:19

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 की छायाप्रति सहित उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

01.10.24

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्याःएन0जी0टी0–150 / नौ–5–2024–21रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2–राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।
3–प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊःदिनांकः 03 जुलाई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs.State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–एन0जी0टी0–336 / 81–7–2024 दिनांक 10.06.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन में समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 02.09.2024 को नियत है।**

2– उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में misleading response दाखिल किये जाने के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 16.05.2024 को पारित आदेशानुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद पर रू0 15,000 /– का जुर्माना लगाया गया है। उक्त के दृष्टिगत सुनवाई की अगली तिथि पर मुख्य सचिव महोदय को virtually appear होने या स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने तथा आदेश का अनुपालन न करने का कारण भी बताने के निर्देश दिये गये है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र दिनांक 10.06.2024 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन में पत्र में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण करते हुए समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

Arun Sir GO-VC

–2–

-2-

शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति नगर विकास अनुभाग–5 को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
03.07.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
03.07.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

01.10.24

चन्द्रजीत यादव
समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

Arun Sir GO-VC

ANNEXURE R2

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्याःएन0जी0टी0–242/नौ–5–2024–21रिट/2023
लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2024

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No.33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs.State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन में निर्धारित समयान्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु एतद्द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः–

क्रमांक	नामित अधिकारी	पदनाम
1.	श्री अमित कुमार सिंह	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2.	श्री अरूण कुमार यादव	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3.	श्री आर0के0 पंकज	मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4.	श्री नागेन्द्र कुमार चौधरी	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।
5.	श्री महावीर सिंह	मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
6.	श्री कामाख्या आनन्द	महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, गाजियाबाद।
7.	श्री प्रदीप कुमार सत्यार्थी	क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0सी0आई0डी0ए0
8.	श्री विकास मिश्रा	क्षेत्रीय अधिकारी, यू0पी0पी0सी0बी0

2– विषयगत प्रकरण में गठित उक्त समिति द्वारा आगामी 03 कार्य दिवस में नगर निगम, नगर निगम, गाजियाबाद में स्थलीय भ्रमण कर मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में आख्या/रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– उल्लेखनीय है कि विषयगत वाद में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर दिनांक 06.09.2024 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है। अतएव उक्त बैठक के पूर्व रिपोर्ट/स्थलीय भ्रमण आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

31.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–एन0जी0टी0–242(1)/नौ–5–2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
2–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3–निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4–श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
7–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
8–सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
9–श्री अरूण कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
10–श्री आर0के0 पंकज, मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
11–श्री नागेन्द्र कुमार चौधरी, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।
12–श्री महावीर सिंह, मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
13–श्री कामाख्या आनन्द, महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, गाजियाबाद।
14–श्री प्रदीप कुमार सत्यार्थी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0सी0आई0डी0ए0।
15–श्री विकास मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, यू0पी0पी0सी0बी0।

01.1.24

आज्ञा से,
31.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

U.O Arun ji-2023-VC

ANNEXURE R3

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण:-

(1)- श्री अजय कुमार शुक्ला, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2)- श्री आशीष तिवारी, सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3)- श्री रमाकान्त पाण्डेय, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

(4)- श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

(5)- श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6)-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

(7)-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

(8)-उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

2- अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No-33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 के अनुपालन में सर्व संबंधित के साथ मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथ का आलेख्य तैयार किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है:-

क्र0 सं0	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद संख्या एवं पारित आदेश दिनांक	कार्यवाही के निर्देश	कार्यवाही किये जाने वाले संबंधित विभाग
1	Execution Application No-33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024	• विषयगत प्रकरण के संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा उक्त क्षेत्रों में अवस्थित घरों की संख्या, कुल सीवर कनेक्शनों की संख्या, पूर्व में डाली गयी सीवर लाइन की लम्बाई का डाटा उपलब्ध कराया जाए।	• नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
		• विषयगत वाद में बची हुई सीवर लाइन, हाउस कनेक्शन इत्यादि के संबंध में डी0पी0आर0 तैयार कर	• नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

		उपलब्ध कराया जाए। • डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा यथाशीघ्र अमृत 2.0 योजनान्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जाए।	• प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ। • मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
		• उक्त रिपोर्ट/आख्या तथा डी0पी0आर0 प्राप्त होने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा ससमय प्रतिशपथपत्र का आलेख्य तैयार कर उपलब्ध कराया जाए।	• नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024	• विषयगत प्रकरण के संबंध में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा बाबू जगजीवन राम पार्क का मूल क्षेत्रफल, पार्क में बसें हुए लोगों एवं घरों की संख्या, पार्क से होकर गुजरने वाले पक्के मार्ग की अवस्थिति एवं लम्बाई चौड़ाई तथा मार्ग से जुड़ने वाले औद्योगिक इकाईयों की संख्या व उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों का सर्वे कर डाटा उपलब्ध कराया जाए।	• नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
		• उक्त पार्क में अवैध रूप से अवस्थित घरों तथा औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध एकमात्र सम्पर्क मार्ग को हटाये जाने की कार्यवाही विधिक/न्यायसंगत् (due process of law) तरीके से की जाए।	• जिलाधिकारी, गाजियाबाद • नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद • उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
		• उक्त रिपोर्ट/आख्या प्राप्त होने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा ससमय प्रतिशपथपत्र का आलेख्य तैयार कर उपलब्ध कराया जाए।	• नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या-एन0जी0टी0-285/नौ-5-2024-Computer No: 1829522

लखनऊ, दिनांक 27 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। -

1. प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
4. राज्य मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
10. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
11. सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. गार्ड बुक।
13. कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
27.09.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Oath Commissioner ✶ Civil Secretariat ✶ Lucknow

01.10.24

चन्द्रजीत यादव
शपथ आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–8 (लेखा)
उ०प्र० शासन।

ANNEXURE-R4

संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या एन0जी0टी0-242/नौ-5-2024-21रिट/2023 दिनांक 31.08.2024 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन Execution Application No. 33/2021 In O.A. No-68/2021 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन में निर्धारित समयान्तर्गत प्रभावी कराये जाने हेतु गठित समिति की दिनांक 02.09.2024 को प्रश्नगत क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण की आख्या।

दिनांक 02.09.2024 को समिति के स्थलीय निरीक्षण के समय उपस्थिति निम्नानुसार थी।

1. श्री अमित कुमार सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2. श्री अरूण कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3. श्री आर0के0 पंकज, मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
4. श्री नरेन्द्र कुमार चौधरी, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।
5. श्री मानवेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
6. श्री कामाख्या आनन्द, महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, गाजियाबाद।
7. श्री प्रदीप कुमार सत्यार्थी, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0सी0आई0डी0ए0।
8. श्री विकास मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, यू0पी0पी0सी0बी0।

समिति द्वारा सर्वप्रथम कड़कड़ मॉडल स्थित पम्पिंग स्टेशन का निरीक्षण किया गया, जिसमें मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त पम्पिंग स्टेशन पर कड़कड़ मॉडल टाउन का लगभग 01 एम0एल0डी0 श्राव प्राप्त हो रहा है, जिसको उक्त पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से पूर्व से बिछी हुई राईजिंग मेन के द्वारा 1800 एम0एम0 व्यास की ट्रंक सीवर में निस्तारित किया जाता है, जिसका शोधन इन्दिरापुरम स्थित 56 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर किया जा रहा है।

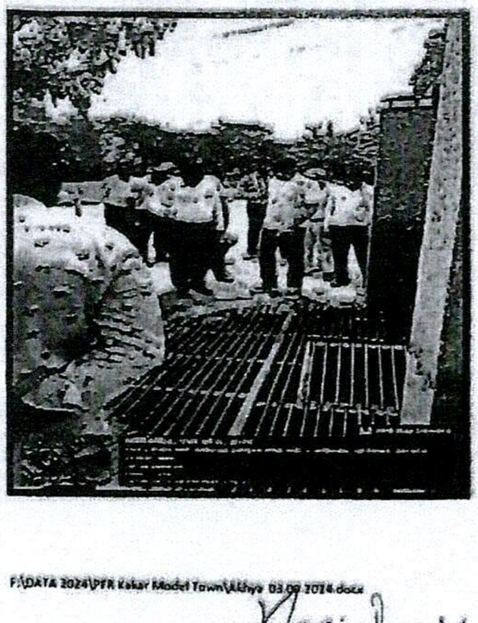

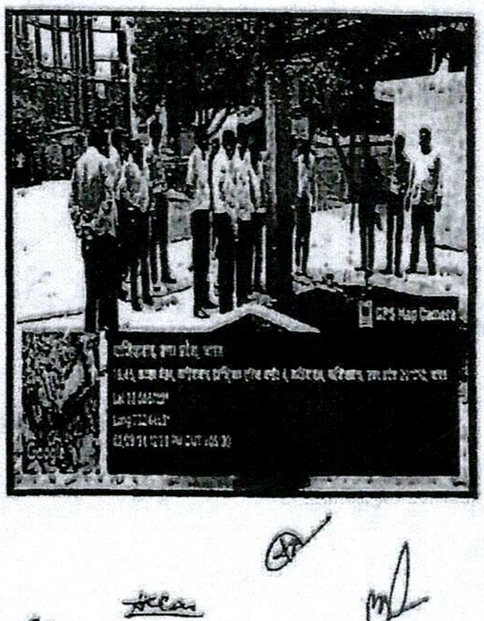

F:\DATA 2024\PTR Kakar Model Town\Akhya 03.09.2024.docx

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त पम्पिंग स्टेशन की क्षमता कम होने के फलस्वरूप उक्त स्थान पर लगभग 10 एम0एल0डी0 क्षमता के पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त पम्पिंग स्टेशन की क्षमता का आंकलन इस आशय से कर लिया जाये कि तकनीकी रूप से नये सम्प की आवश्यकता है या नहीं। उक्त के कम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में विषयगत कड़कड़ मॉडल क्षेत्र लगभग 40000 आबादी हेतु 4.80 एम0एल0डी0 का घरेलू सीवेज उत्प्रवाहित होता है एवं अभिकल्पित वर्ष 2055 की जनसंख्या 57600 के अनुसार 6.80 एम0एल0डी0 का सीवेज उत्प्रवाह आंगणित होता है इसके अतिरिक्त वर्तमान में इस सीवेज प्रणाली से निकटतम स्थित झण्डापुर की आबादी का अभिकल्पित घरेलू सीवेज उत्प्रवाह 2.50 एम0एल0डी0 आंकलित होता है। चूंकि पम्पिंग स्टेशन का प्राविधान डिजाईन वर्ष के लिए होता है, के फलस्वरूप उक्त पम्पिंग स्टेशन पर प्राविधानित फ्लो अभिकल्पित वर्ष 2055 में 9.30 लगभग 10 एम0एल0डी0 अधिष्ठापन किया जाना आवश्यक है। उक्त श्राव के निस्तारण हेतु वि0/यां0 खण्ड द्वारा की गयी गणना के अनुसार न्यूनतम 05 नग पम्पों का अधिष्ठापन किया जाना आंकलित होता है तथा उक्त श्राव हेतु ट्रंक सीवर के इन्वर्ट लेविल से नीचे लगभग 8 मी0 की गहराई की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में उक्त पम्पिंग स्टेशन की इन्वर्ट लेविल से नीचे लगभग 2.60 मी0 की गहराई है। अतः उक्त तकनीकी दृष्टिकोण से पूर्व से निर्मित पम्पिंग स्टेशन का व्यास प्रर्याप्त नहीं है, जिस कारण नये पम्पिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना उचित होगा।

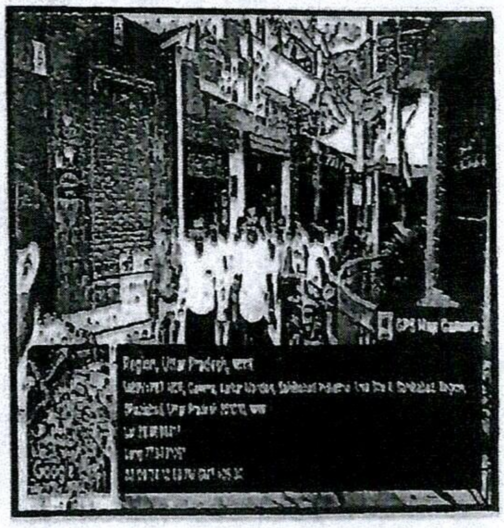

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) द्वारा गाजियाबाद नगर निगम से कड़कड़ मॉडल टाउन में कितने नग घर स्थापित हैं एवं वर्तमान में कितने घरों से गृह कर अर्जित किया जा रहा है कि सूचना चाही गयी तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद को निर्देश दिये गये कि गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी कर संग्रह की सूची से घरों का

F:\DATA 2024\PFR Kakar Model Town\Akhya 03 09 2024.docx

सत्यापन करा लिया जाये. किसी भी भिन्नता की स्थिति में कड़कड़ मॉडल टाउन के समस्त घरों का जी0आई0एस0 सर्वे अपने स्तर से कराया जाये, जिससे कि वास्तविक जनसंख्या एवं जनित सीवेज का आंकलन किया जा सके। दिनांक 03.09.2024 को गाजियाबाद नगर निगम के कर अनुभाग द्वारा कड़कड़ मॉडल टाउन के 1326 परिसम्पत्तियों से प्राप्त किये जा रहे कर की सूची उपलब्ध करायी गयी, जिसमें कड़कड़ मॉडल के लगभग 1180 नग घर सम्मिलित हैं।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट–4 में कुल कितनी औद्योगिक इकाईयां अधिष्ठापित हैं, व किस प्रकार औद्योगिक इकाईयां तथा उनमें से कितनी जल प्रदूषक है, की सूचना चाही गयी। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी निम्नानुसार अवगत कराया गया है :–

- साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद मे डाईग, मीट प्रोसेसिंग, मेटल सर्फेस ट्रीटमेन्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इण्डक्शन फर्नेस, पैकेजिंग, ढलाई एवं अन्य अप्रदूषणकारी प्रकार के औद्योगिक इकाईयां की स्थापना हेतु यू0पी0एस0आई0डी0ए0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है।

- साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद मे स्थापित जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयां मे उचित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र स्थापित एवं संचालित है।

- उधोगों का नियमित अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। दोषी पाये जाने पर उधोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त जल प्रदूषणकारी उधोगों का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित थर्ड पार्टी टीम (आई0आई0टी0 कानपुर, ए0एम0यू0 अलीगढ़ आदि) द्वारा भी निरीक्षण किये जाते है, दोषी पाये जाने पर उधोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती हैं।

- साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र मे 22 औद्योगिक इकाईयां के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 16 उधोगों के विरूद्ध कुल रु0 99,17,72,750/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी हैं।

- उक्त क्षेत्र मे 114 जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयां (सूची संलग्न) के अतिरिक्त अन्य अप्रदूषणकारी (लगभग 389) औद्योगिक इकाईयां से जनित घरेलू उत्प्रवाह भी ओपन ड्रेन के माध्यम से साहिबाबाद ड्रेन में निस्तारित होता है। साहिबाबाद ड्रेन के अधिकांश उत्प्रवाह का शुद्धिकरण इन्द्रापुरम स्थित 74 एम0एल0डी0 क्षमता एस0टी0पी0 से किया जाता है।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) द्वारा यू0पी0सी0डा0 से साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट–4 को कब विकसित किया गया था एवं उक्त क्षेत्र हेतु कितनी भूमि अधिकृत की गयी थी तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकसित किये जाने के समय कड़कड़ मॉडल टाउन की क्या स्थिति थी, की सूचना चाही गयी। उक्त के सम्बन्ध में यू0पी0सी0डा0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र हेतु साहिबाबाद, झण्डापुर, प्रहलादगढ़ी, कड़कड़ मॉडल, मकनपुर, महाराजपुर, हसनपुर एवं भोवापुर के ग्रामों

F:\DATA 2024\PFR Kakar Model Town\Akhya 03.09.2024.docx

Oath Commissioner
Lucknow
Civil Secretariat

की लगभग 1707.17 एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी, जबकि स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार 1445.17 एकड़ भूमि है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में मार्गों की लम्बाई लगभग 80.17 किमी0 है। यू0पी0सी0डा0 द्वारा साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट-4 को वर्ष 1981 में गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) द्वारा गाजियाबाद नगर निगम से औद्योगिक क्षेत्र में कुल स्थापित इकाईयों के सापेक्ष कितनी औद्योगिक इकाईयों से कर की वसूली की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में उक्त औद्योगिक क्षेत्र से कितना कर संग्रह हुआ था, की सूचना चाही गयी, जिसके कम में कर अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट-4 में तीन वार्ड क्रमशः 40, 41 एवं 43 स्थित हैं। गाजियाबाद नगर निगम के कर अनुभाग द्वारा साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट-4 में स्थापित इकाईयों एवं घरों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.41 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 17.85 करोड़ कर अर्जित किया गया है।

समिति द्वारा कड़कड़ मॉडल टाउन में बिछी हुई सीवर लाइन का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि पूर्व से बिछी हुई लाइन आंशिक रूप से कियाशील है तथा कड़कड़ मॉडल टाउन में बिछी हुई ट्रंक सीवर लाइन क्रियाशील पायी गयी जिसमें कड़कड़ मॉडल टाउन की कुछ नालियों के उत्प्रवाह को डायवर्ट कर प्रवाहित किया जा रहा है, जोकि कड़कड़ मॉडल के पम्पिंग स्टेशन पर निस्तारित होता है। अन्य गलियों की नालियों का प्रवाह ड्रेन के माध्यम से साहिबाबाद ड्रेन में निस्तारित होता है, जोकि साहिबाबाद ड्रेन के इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन के माध्यम से इन्दिरापुरम स्थित 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 पर शोधित किया जाता है। समिति द्वारा उक्त सीवर लाइन के भविष्य में जनित होने वाले सीवेज के दृष्टिगत उपयोगिता के सम्बन्ध पृच्छा की गयी, जिस पर मुख्य अभियन्ता (गा0 क्षेत्र) द्वारा उक्त सीवर लाइन को भविष्य में जनित होने वाले सीवेज के सापेक्ष उपयुक्त बताया गया।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) द्वारा महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, गाजियाबाद से कड़कड़ मॉडल टाउन के सैप्टेज प्रबन्धन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी जिस पर महाप्रबन्धक (जल) द्वारा अवगत कराया गया कि कड़कड़ मॉडल के सैप्टेज के इन्दिरापुरम स्थित 50 के0एल0डी0 एफ0एस0टी0पी0 (कॉ-ट्रीटमेन्ट) पर निस्तारित किया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (नागर) द्वारा महाप्रबन्धक (जल) के कड़कड़ मॉडल टाउन के सैप्टेज शिडयूल जारी कर उक्त क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में महाप्रबन्धक (जल), नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा रोस्टर प्लान कड़कड़ मॉडल हेतु जारी किया गया है।

अन्त में समिति द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में विभागों को निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये :-

1. नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराते हुए आख्या उपलब्ध करायी जाये कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साईट-4 में अधिष्ठापित समस्त औद्योगिक इकाईयां द्वारा देय कर जमा किया जा रहा है अथवा नहीं। जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा देय कर जमा नहीं किया जा रहा है, के विरूद्ध नियमानुसार क्या कार्यवाही की गयी है।
2. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कराये गये जी0आई0एस0 सर्वे, निगम द्वारा अर्जित किये जा रहे कर तथा जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये गये सर्वेक्षण की सूची के अनुसार घरों का सत्यापन

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

करा लिया जाये। उक्त के साथ ही जिन घरों पर वाटर, सीवर तथा हाउस टैक्स अधिरोपित नहीं किया गया है, इस प्रकार के घरों पर नियमानुसार टैक्स अधिरोपित किया जाये।

3. कड़कड़ मॉडल टाउन की सीवरेज समस्या के निराकरण हेतु घरों की वास्तविक संख्या का आंकलन तथा सीवर लाइन बिछाये जाने हेतु समस्त गलियों का विस्तृत सर्वेक्षण कराकर तकनीकी फीजिबिलीटी के अनुसार डी०पी०आर० विरचन की कार्यवाही की जाये।
4. उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा विरचित की जा रही डी०पी०आर० के सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कड़कड़ मॉडल की समस्त नालियों को सीवर लाइन के कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त जनित सीवेज का उत्प्रवाह नालियों के माध्यम से न होकर सीधे सीवर लाइन में प्रवाहित हो।

(विकास मिश्रा) क्षेत्रीय अधिकारी, यू०पी०पी०सी०बी०।	(प्रदीप कुमार सत्यार्थी) क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०सी०आई०डी०ए०।	(कामाख्या आनन्द) महाप्रबन्धक, जलकल, नगर निगम, गाजियाबाद।	05/9/24 (मानवेन्द्र सिंह) मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
05/9/24 (नरेन्द्र कुमार चौधरी) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, गाजियाबाद।	05.09.24 (आर०के० पंकज) मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।	(अरूण कुमार यादव) अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।	(अमित कुमार सिंह) संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

<u>प्रधान कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ</u>

पत्रांक 198/सं०प्र०नि०(नागर)कैम्प/2024 दिनांक 10/09/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ हेतु :

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु :

3. नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।
4. मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
5. महाप्रबन्धक (जल), गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, यू०पी०पी०सी०बी०, गाजियाबाद।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू०पी०सी०आई०डी०ए०, गाजियाबाद।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

01.10.24

F:\DATA 2024\PFR Kakar Model Town\Abhys 03.09.2024.docx

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

ANNEXURE- RS

"अमृत–2.0" के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की दिनांक 27.08.2024 को सम्पन्न 27वीं बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :–संलग्न विवरण के अनुसार।

सर्वप्रथम अमृत–2.0 योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के संबंध में समिति द्वारा निम्नवत् सामान्य निर्देश दिये गये हैं:–

1– परियोजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का गुणवत्तापूर्ण, मानकानुसार एवं समयबद्ध रूप से कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था की होगी।

2– परियोजना का विस्तृत परीक्षण एवं सर्वे के उपरान्त एस0ओ0आर0/डी0एस0आर0 के अनुसार तथा अमृत–2.0 योजनान्तर्गत भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार आगणन/डीपीआर तैयार किया जायेगा।

3– परियोजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्य प्रांरभ करने से पूर्व वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–6 के अध्याय–12 के प्रस्तर–318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रांरभ किया जायेगा।

4– परियोजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में उत्तर प्रदेश के वित्तीय नियमों/सीवीसी की गाइडलाइन्स/प्रोक्यूरमेंट मैनुअल तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– परियोजनान्तर्गत निर्गत मानकों के अनुसार 75 प्रतिशत की धनराशि का व्यय होने पर द्वितीय किश्त की धनराशि एवं इसी प्रकार तृतीय किश्त की धनराशि अमृत–2.0 योजनानतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार शासनादेश के अनुरूप त्रिस्तरीय जियो टैग फोटोग्राफ के साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही आगामी किश्त की धनराशि निर्गत की जायेगी।

6– सामान्यतः परियोजना की अनुमोदित लागत पर कोई विचलन (Variation) अनुमन्य नहीं होगा, परन्तु अपरिहार्य कारणोंवश परियोजना के विचलन की दशा में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही परियोजना का पुनरीक्षण किया जायेगा।

7– परियोजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की 'थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट', 'लैब टेस्ट रिपोर्ट' तथा कार्य की 'गुणवत्ता प्रमाण–पत्र' कार्यदायी संस्था द्वारा यथासमय मिशन/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– परियोजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का नियमित अनुश्रवण संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

9– परियोजना का आगणन/डीपीआर तैयार किये जाने के पूर्व संबंधित स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय निवासियों (विशेषकर महिलाओं का) की अधिकाधिक जनसहभागिता (पब्लिक इंगेजमेंट) सुनिश्चित कराई जाये।

10– परियोजनान्तर्गत लगाये गये शिलालेख/पट्टिकाओं पर शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुसार नाम अंकित कराते हुए उसे धूल/मिट्टी/टूट–फूट इत्यादि से बचाने हेतु यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

11– परियोजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के दौरान स्थानीय 'ट्रैफिक मूवमेंट' को सुगम बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

I. स्वीकृत निविदाएं:—

(रू. लाख में)

क.सं	Tranche	मद	जनपद	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत कार्य लागत (सेन्टेज रहित)	कार्य का विवरण	निविदा आमन्त्रण की दिनांक	समाचार पत्र का विवरण (जिनमें निविदायें प्रकाशित हुयी है)	निविदा खुलने की तिथि	निविदाओं की सं0			न्यूनतम निविदा का विवरण		विभागीय लागत		प्रतिशत (कम/अधिक)	
										कुल विक्रय	कुल प्राप्त	अर्ह	फर्म का नाम	निविदित लागत	एस.ओ.आर.के अनुसार	स्वीकृत लागत	एस.ओ.आर. के अनुसार	स्वीकृत लागत के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
1	Tranche-2	Water Supply	मेरठ	सिवालखॉस नगर पंचायत पेयजल पुर्नगठन परियोजना	1428.89	गृह संयोजन–7333 नग, नलकूप–3 नग, वितरण प्रणाली–27.936 कि.मी. ,उच्च जलाशय–01 नग (2150 के.एल./22 मी.), राइजिंग मेन–1305 मी0, आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य	7.6.2024	हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली एवं , हिन्दुस्तान मेरठ	28.6.2024	6	6	6	मै0 शैलेश कुमार, 3/159, सुहाग नगर, फिरोजाबाद	807.34	1101.40	1185.30	-26.70	-31.89
2	Tranche-2	Water Supply	लखनऊ	नगर पंचायत मोहनलालगंज में पुनर्गठन पेयजल योजना	3325.90	गृह संयोजन–7388 नग, नलकूप–6 नग, वितरण प्रणाली– 103.69 कि.मी., उच्च जलाशय–4 नग (500 के.एल./18 मी.400 के.एल./24 मी., 500 के.एल./18 मी., एवं 350 के.एल./20 मी.), पूर्व निर्मित उच्च जलाशय के रिपेरिंग का कार्य–02 नग (450 के.एल./18मी. एवं 500 के.एल./18मी.) राइजिंग मेन–2820 मी., आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य	5.6.2024	अमर उजाला एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया,	21.6.2024	2	2	2	मै0 आकांक्षा इन्टरप्राइजेज, नियर नन्दनी पेट्रोल पम्प, मुरादाबाद, बाराबंकी	2395.29	2717.6	2761.61	-11.86	-13.26
3	Tranche-3	Solar Power Plant	वाराणसी	250 एम.एल.डी. डबलू.टी.पी. भेलूपुर कैम्पस में ग्रिड कनेक्टेड ग्राउण्ड/रूफआप माउन्टेड 1.0 मेगावाट सोलर पावर प्लान्ट	854.23	सोलर पैनल 1000 के.वी., इन्वेटर–10 नग, डी.सी. आप्टीमाइजर, सब स्टेशन(1 एम.बी.ए)–1 नग(0.4/11 के.वी.), स्काडा सिस्टम एवं विभिन्न भवनों के रूफ टॉप का इन्टीग्रेस्टन एवं इण्टरकनेक्शन का कार्य	04.03.2024	अमर उजाला एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया,	29.06.2024	11	10	4	M/s HCL-LIPL JV, SP Ring Ahmadabad Gujrat (M/s) Hetvi Construction Limited Ahmadabad Gujrat (70%) in JV With M/s Lumos Infra Pvt. Nirala Nagar Near 8 No. Chauraha Lucknow (30%)	642.77	729.39	723.92	-11.88	-11.21
4	Tranche-2	Water Supply	मिर्जापुर	नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर पेयजल योजना	2859.31	गृह संयोजन–35426 नग (नये–8152 नग एवं पुराने गृह संयोजन के शिफिटिंग के कार्य–27274 नग) एवं वितरण प्रणाली–29.87 कि.मी.	23.11.2023	हिन्दुस्तार, दैनिक एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया, समाचार पत्र	30.12.2023	5	5	5	मै0 बी. के. कन्सट्रक्शन, एण्ड कम्पनी, आगरा	1690.66	2422.5	2426.82	-30.21	-30.33

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के द्वारा विचारोपरान्त नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर पेयजल योजना की निविदा इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की गयी कि पी.एफ.ए.डी. द्वारा एक मद में स्वीकृत धनराशि रू. 432.39 लाख के सापेक्ष आमंत्रित निविदा के बी.ओ.क्यू. में रू. 467.45 लाख अर्थात् धनराशि रू. 35.06 लाख अधिक लिये गये है जिसको कम करके निविदा की धनराशि ली जाये तथा जिसकी सहमति ठेकेदार फर्म से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त कर ली जाये। साथ ही इस कार्य के सम्पादन में यह ध्यान रखा जाये कि स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्य न कराया जाये। सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया गया कि परियोजना में प्रस्तावित कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण कर मानक के अनुसार गुणता सुनिश्चित करें।

क.सं.	Tranche	मद	जनपद का नाम	नगरीय निकाय का नाम	प्राक्कलन का नाम	अनुमानित लागत		प्राक्कलन में प्राविधान
						सेन्टेज सहित	सेन्टेज रहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Tranche-2	Water Supply	गाजीपुर	सैदपुर नगर पंचायत	Augmentation and extension of Nagar Panchayat Saidpur Water supply scheme	2761.40	2555.32	गृह संयोजन–5690 नग (नये–3044 एवं शिफ्टिंग–2646), नलकूप–9 नग (नये–7 एवं रिबोर–2) वितरण प्रणाली–42.008 कि.मी., उच्च जलाशय–3 नग (800के.एल./18मी., 700के.एल./18मी. एवं 250के.एल./16मी.), राइजिंग मेन–3425 मी., पूर्व निर्मित उच्च जलाशय के रिपेरिंग कार्य–1 नग (1000 के.एल./18 मी.) आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य
6	Tranche-2	Water Supply	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत बिलासपुर	Augmentation of Bilaspur Nagar Panchyat Water Supply Scheme	1440.30	1331.27	गृह संयोजन–2874 नग, नलकूप–4 नग, वितरण प्रणाली–25.156 कि.मी., उच्च जलाशय–1 नग (1700 के.एल./25 मी.), पूर्व निर्मित उच्च जलाशय के रिपेरिंग का कार्य–01नग (300के.एल./18मी), राइजिंग मेन–1470 मी., आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य
7	Tranche-2	Water Supply	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत जहांगीरपुर	Augmentation of jahangirpur Nagar Panchayat Water Supply Scheme	1389.17	1283.49	गृह संयोजन–2959 नग, नलकूप–3 नग, वितरण प्रणाली–27.198 कि.मी., उच्च जलाशय–1 नग (1300 के.एल./18 मी.), राइजिंग मेन–1650 मी., आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य
8	Tranche-2	Water Supply	हापुड़	नगर पालिका परिषद हापुड़	नगर पालिका परिषद हापुड़ पुनर्गठन पेयजल योजना (पार्ट–2)	4513.39	4234.68	गृह संयोजन–9461 नग, नलकूप–06 नग, वितरण प्रणाली–77.625कि.मी., उच्च जलाशय–1 नग (900 के.एल./25मी.), राइजिंग मेन–2648 मी., पूर्व निर्मित उच्च जलाशय के रिपेरिंग का कार्य– 5 नग (1100 के.एल./16मी., 2250 के.एल./18मी. 2250 के.एल./18मी. 2250 के.एल./20 मी., 2250 के.एल./22 मी.), सी.डब्ल्यू.आर.–1 नग (600 के.एल.), आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य
9	Tranche-2	Water Supply	गौतमबुद्धनगर	दनकौर नगर पंचायत	Augmentation of Dankaur Nagar Panchyat water supply scheme	1628.47	1503.81	गृह संयोजन–4326 नग, नलकूप–3 नग (नये 02 नग एवं रिबोर– 1 नग), वितरण प्रणाली–44.264 कि.मी., उच्च जलाशय–1 नग (600 के.एल./22मी.), पूर्व निर्मित उच्च जलाशय के रिपेरिंग कार्य–1 नग (1000 के.एल./17मी.), राइजिंग मेन–1230 मी., आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य

स्थगित परियोजना:–

(रू. लाख में)

क.सं.	Tranche	मद	जनपद का नाम	नगरीय निकाय का नाम	प्राक्कलन का नाम	अनुमानित लागत		प्राक्कलन में प्राविधान
						सेन्टेज सहित	सेन्टेज रहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tranche-3	Water Supply	मिर्जापुर	कछवा नगर पंचायत	Augmentation of Kachhwa Nagar Panchyat water supply scheme	1781.36	1648.12	गृह संयोजन–2814नग (नये–1329 एवं शिफ्टिंग–1485), नग, नलकूप–04 नग(नये–03 एवं रिबोर–01नग), वितरण प्रणाली–25.93 कि.मी., उच्च जलाशय–1 नग (1100के.एल./20 मी.), पूर्व निर्मित उच्च जलाशय के रिपेरिंग का कार्य– 1 नग (600 के.एल./16मी.), राइजिंग मेन–2675 मी., आटोमेशन (स्काडा) एवं तत्सम्बन्धित (वि./यॉ.) कार्य

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) के द्वारा उ0प्र0 जल निगम को यह निर्देशित किया गया कि परियोजना प्रेषित करते समय सम्बन्धित नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के साथ–साथ वहॉ के अध्यक्ष/चेंयरमैन की भी सहमति प्राप्त कर ली जाए।

II. पार्क एवं ग्रीन स्पेस की परियोजना :–

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा प्रस्तुत पार्क–ग्रीन स्पेस–01 प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त निम्नवत् प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया:–

(रू. लाख में)

क्र. सं.	Tranche	जनपद	निकाय का नाम	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत
1	Tranche-1	खीरी	न0पा0प0 मोहम्मदी	नगर क्षेत्र मे केतकी के फूल से युक्त मेहंदीबाग के संरक्षण हेतु	83.39

Oath Commissioner Lucknow Civil Secretariat

2. **<u>मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या–33/2021 इन ओ0ए0 संख्या–68/2021, Sushil Raghav VS, Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन में जनपद गाजियाबाद के नगर निगम, गाजियाबाद के वार्ड–43 के कड़कड़ मॉडल की सीवरेज की समस्या के समाधान हेतु पी.एम.आर. रू. 939.23 लाख के विचार विमर्श हेतु प्रस्ताव।</u>**

मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या–33/2021 इन ओ0ए0 संख्या–68/2021, Sushil Raghav VS, Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के अनुपालन में मुख्य अभियंता(गा.क्षे.), उ.प्र. जल निगम(नगरीय), गाजियाबाद द्वारा गाजियाबाद के नगर निगम, गाजियाबाद के वार्ड–43 के कड़कड़ मॉडल की सीवरेज की समस्या के समाधान हेतु प्रेषित पी.एफ.आर. अनुमानित लागत रू. 939.23 लाख की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत की गयी।

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा उपरोक्त पी.एफ.आर. पर विचारोपरान्त सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी।

<u>अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।</u>

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
नगर विकास विभाग–5
संख्याः–6131/नौ–5–24–69सा/2022–कम्प्यूटर संख्या–1645731
लखनऊः: दिनांक–29 अगस्त, 2024

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सचिव, आवासन एवं शहरी नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
3. राज्य मिशन निदेशक (अमृत–2.0), अमृत निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
4. संबंधित सचिव/विशेष सचिव,वित्त/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. प्रबंध निदेशक (विद्युत वितरण), उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
10. महाप्रबंधक, जलकल, नगर निगम, लखनऊ।
11. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
12. कम्पयूटर सेल, गार्ड बुक।

आज्ञा से
29.08.2024
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Oath Commissioner Civil Secretariat Lucknow

01.10.24

चन्द्रजीत यादव
पथ अयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग–3 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

ANNEXURE R6

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 365 /न0आ0/2024 दिनांकः 17/09/24

प्रेषकः नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-68/2021 व 710/2023 श्री सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त दोनों वादों में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को अनुपालन आख्या दाखिल करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुपालन में ओ.ए. संख्या-68/2021 श्री सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में वार्ड संख्या 43 कड़कड मॉडल में स्थित भवनों के सम्बन्ध में समिति बनाकर आवासीय व अनआवासीय भवनों की गणना कर ली गयी है तथा ओ.ए. संख्या 710/2023 श्री सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में मोहननगर जोन अर्न्तगत राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बाबू जगजीवनराम पार्क का हाउस हॅाल्ड सर्वे एवं जियोटेग स्थिति का आकलन कराया गया जिसके सम्बन्ध में सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है।

अतः उपरोक्त दोनों वादों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की आख्या पत्र के साथ संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नकः-यथोक्त।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः-निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

Oath Commissioner, Civil Secretariat, Lucknow

01.10.24

चन्द्रजीत यादव
... आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
न्याय अनुभाग-8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।

गाजियाबाद नगर निगम

वसुन्धरा जोनान्तर्गत स्थित वार्ड सं0-43 कडकड मॉडल में स्थित भवनों की कुल संख्या

क्रम सं0	वार्ड का नाम एवं संख्या	वार्ड अन्तर्गत स्थित कुल भवनों की संख्या			
		आवासीय भवन	अनावासीय/ मिक्स भवन	औद्योगिक ईकाई	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	कड़कड़ मॉडल, 43	1403	411	141	1955

Gaurav Sakhuja
(Project Leader-GIS)

कर अधीक्षक
गाजियाबाद नगर निगम

Note: The counting of properties is done with the following RIs

1. Pravesh Singh (RI)
2. Satish Chandra (RI)

जोनल प्रभारी
वसुन्धरा जोन
गाजियाबाद नगर निगम

Chief Engineer (GZB. Zone)
U.P. Jal Nigam (Urban)
Ghaziabad

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
गाजियाबाद नगर निगम

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

01.10.24

चन्द्रजीत यादव
अनुभाग अधिकारी
आयुक्त एवं अनुभाग अधिकारी
वित्त अनुभाग-8 (लेखा)
उ0प्र0 शासन।